न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

परिवाद संख्या 82/2016

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी
कार्यालय संयुक्त निदेशक एवं स्वास्थ्य सेवाएं, जोन अजमेर

..........प्रार्थी

बनाम

1. श्री महावीर जैन पुत्र श्री अमरजीत पामेचा, मैसर्स– गौतम स्टोर्स प्रा0 लि0 3/41–42, सब्जी मण्डी, बिजयनगर, अजमेर। निवासी गौतम श्री मिल चौक, तहसील मसूदा, बिजयनगर।
2. श्री राजेन्द्र जैन, मैसर्स– गौतम स्टोर्स प्रा0 लि0 3/41–42, सब्जी मण्डी, बिजयनगर, अजमेर।
3. मैसर्स– गौतम स्टोर्स प्रा0 लि0 3/41–42, सब्जी मण्डी, बिजयनगर, अजमेर।
4. श्री संजय कुमार नाबेडा पुत्र श्री मूलचन्द नाबेडा, मैसर्स–मूलचन्द संजय कुमार, बापू बाजार, बिजयनगर, निवासी कमला फैक्ट्री, बरल–2 बिजयनगर।
5. अनिल कुमार उपाध्याय, मैसर्स– श्री हरि इन्डस्ट्रीज(हरि ऑयल मिल्स)एफ–38 बी, रोड न. 2, वी.के.आई. एरिया जयपुर। निवासी शिव कॉलोनी, नबीपुर, हाथरस, यू0पी0।
6. मैसर्स– श्री हरि इन्डस्ट्रीज(हरि ऑयल मिल्स)एफ–38 बी, रोड न. 2, वी.के. आई. एरिया जयपुर।

........अप्रार्थीगण

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा
26 की उप धारा (2) (।।) एवं धारा 51 के तहत

उपस्थित : नरेश कुमार धूत वकील अप्रार्थी संख्या 5 व 6 की ओर से।

–: आदेश :–

दिनांक– 29.12.2016

शासन उप सचिव, कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक प.1(2) कार्मिक/क–4/08 दिंनाक 05.04.2012 के द्वारा खाद्य सुरक्षा माणक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा 1 के तहत प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए जिलो मे कार्यरत अति. जिला मजिस्ट्रेट को खाद्य सुरक्षा एवं माणक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उनके अधिनस्थ कार्य क्षेत्र मे लिए न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किये जाने के फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय संयुक्त निदेशक एवं स्वास्थ्य सेवाएं, जोन अजमेर ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध एक परिवाद इस आशय का प्रस्तुत किया कि अप्रार्थीगण ने सबस्टेण्डर्ड तिल तेल (इंजन ब्राण्ड) विक्रय करके खाद्य सुरक्षा माणक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की 26 की उपधारा 2 (11) का उल्लंघन किया है, जिसके

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रशासन) अजमेर

Scanned by CamScanner

फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा माणक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 मे निर्धारित हैं। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आवेदन गजट नोटिफिकेशन की प्रति कार्य क्षेत्र नोटिफिकेशन की प्रति माल खरीद, बिल असल, फार्म नम्बर 5 ए असल, फर्द रिपोर्ट असल फार्म नम्बर 6 असल एवं प्राप्ति रसीद (पुस्त पर) खाद्य विश्लेषक अजमेर द्वारा खाद्य नमूना एवं फार्म नम्बर 6 द्वितीय प्रति की प्राप्ति रसीद की अभिहित अधिकारी द्वारा खाद्य नमूना के तीन भाग की रसीद व खाद्य विश्लेषक अजमेर की नमूना जॉच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली पेश करने बाबत आवेदन फाईल करने बाबत लिखा गया पत्र की प्रति प्रस्तुत की गयी।

न्यायालय हाजा मे प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 11.12.2015 को 04.15 पी0एम0 बजे खाद्य सुरक्षा अधिकारी मैसर्स- गौतम स्टोर्स प्रा0 लि0 3/41-42, सब्जी मण्डी, विजयनगर, जिला अजमेर पर पहूँचे श्री महावीर जैन पुत्र श्री अमरजीत पामेचा मौके पर उपस्थित मिले जो आम जनता को तिल तेल (इंजन ब्राण्ड) विक्रय कर रहे थे। खाद्य सुरक्षा अधिकारी को निरीक्षण के दौरान तिल तेल (इंजन ब्राण्ड) में मिलावट का शक होने पर उनमे से नमूना जॉच हेतु 500 एम.एल. तिल तेल (इंजन ब्राण्ड) पैक्ड की 4 बोतले वास्ते नमूना जॉच हेतु 280/- रूपयें श्री महावीर जैन को नगद देकर गवाह अजय मोयल तथा खाद्य सुरक्षा अधिकारी के समक्ष क्रय करने पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मौके पर फार्म नम्बर 5 ए की प्रतियां एवं फर्द रिपोर्ट तैयार करके इसकी एक प्रति अप्रार्थी श्री महावीर जैन को सम्भलाकर रसीद प्राप्त करने खरीदशुदा तिल तेल (इंजन ब्राण्ड) की चारों बोतलों को अलग-अलग भूरे कागज में लपेटकर प्रत्येक लेबल पर डीओ के कोड क्रमांक एजे/751 दर्ज कर प्रत्येक लेबल पर हस्ताक्षर करते हुए गोंद से चिपकाने संबंधी कार्यवाही करने के बाद लिये गये नमूनों को अपने जाप्ते मे लेने के पश्चात् कार्यालय पहुँचकर फार्म नम्बर 6 की 6 प्रतियां तैयार करने एवं सील किये गये नमूने मे से एक नमूना फार्म संख्या 6 की प्रति के आउटर कवर कराकर दो फार्म संख्या 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे मे बंद कर चपडी सें सील मोहर कर, खाद्य विश्लेषक, अजमेर को शेष 2 सील बंद नमूना भाग फार्म नम्बर 6 की दो प्रति आउटर कवर मे सील बंद कर संयुक्त निदेशक एवं स्वास्थ्य सेवाएं, जोन अजमेर को भिजवाये जाने का उल्लेख किया गया है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद मे यह भी उल्लेख किया है कि अभिहित अधिकारी अजमेर के पत्र क्रमांक एजो/एफएसएसए/2016/650 दिनांक 27.01.2016 के अनुसार खाद्य विश्लेषक अजमेर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट सं. एलएस. 1014/एक्ट/2015/31 दिनांक 07.01.2016 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते जॉच विक्रय किया गया तिल तेल (इंजन ब्राण्ड) सबस्टेण्डर्ड होना पाया गया। इस आधार पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने का परिवाद इस न्यायालय मे दिनांक 15.07.2016 को प्रस्तुत किया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी से प्रकरण प्राप्त होने पर दिनांक 15.07.2016 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण श्री महावीर जैन व अन्य को विधिवत नोटिस जारी कर अपना पक्ष दिनांक 26.08.2016 को कार्यालय हाजा मे स्वयं या उनके प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत करने हेतु पाबन्द किया गया।

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) अजमेर

Scanned by CamScanner

निर्धारित अवधि में कोई कार्यवाही नहीं की गई, जिसके लिए अभियुक्त दोषी प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण श्री महावीर जैन व अन्य द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं माणक अधिनियम 2006 नियम और विनियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (11) के तहत अवमानक पदार्थ बेचने का दोषी हैं। जिसके लिए उपरोक्त अधिनियम की धारा 51 में अवमानक पदार्थ पाये जाने पर शास्ती आरोपित किये जाने का प्रावधान किया हुआ है। चूकिं अप्रार्थीगण द्वारा प्रथम अपराध कारित किया गया है, अतः न्याय हित में इस चेतावनी के साथ उन्हें हिदायत दी जाती है कि वे भविष्य में इस प्रकार का अपराध पुनः कारित नहीं करेंगें। इस आशय का शपथ–पत्र भी उन्हें न्यायालय के समक्ष पेश करना होगा। उपरोक्त प्रावधान को मद्वेनजर रखते हुए अप्रार्थीगण अभियुक्त श्री महावीर जैन व अन्य को जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जाना उचित प्रतीत होता है। अप्रार्थीगण द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 नियम और विनियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (11) का उल्लंघन करने एवं अपराध कारित होने के फलस्वरूप उक्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत अप्रार्थीगण अभियुक्त श्री महावीर जैन व अन्य को रु. 5,000/– (अक्षरे पांच हजार रूपयें मात्र) शास्ती आरोपित की जाती है। अभियुक्त उपरोक्त शास्ती राशि न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अजमेर के नाम डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय दिनांक 29.12.2016 के एक माह के अन्दर जमा कराकर रसीद प्राप्त करे।

निर्णय लिखवाया जाकर आज दिनांक 29.12.2016 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(किशोर कुमार)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

क्रमांक :सरिस्ता/अपर/2016/4325-27
दिनांक : 30.12.16

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1– खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक (जन.स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर।

2– अभिहित अधिकारी एवं संयुक्त निदेशक एवं स्वास्थ्य सेवाएं, जोन अजमेर।

3– अनिल कुमार उपाध्याय, मैसर्स– श्री हरि इन्डस्ट्रीज(हरि ऑयल मिल्स)एफ–38 बी, रोड न. 2, वी.के.आई. एरिया जयपुर। निवासी शिव कॉलोनी, नबीपुर, हाथरस, यू0पी0।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

Scanned by CamScanner